

		कुल भूमि की 75 प्रतिशत से अधिक हानि संवेदनशीलता	- समझौता मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रतिपूर्ति - उचित स्थान पर बराबर आकार एवं गुणवत्ता (जहां कहीं सम्भव हो) की भूमि। यह भूमि किसी लेन-देन लागतों, जैसाकि रजिस्ट्रेशन फीस, स्थानांतरण कर आदि से मुक्त उपलब्ध कराई जाएगी। - पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि की प्रतिपूर्ति - प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान। निपटान हो जाने का भूमि का उपयोग करने का अधिकार	- एक वर्ष के लिए प्रतिमास रु.2000/- का पारगमन भत्ता - भूमि खरीद सहायता - पेड़ स्थानांतरण सहायता - कुशल बढ़ोतरी तथा आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के लिए पात्र
	गैर-कानूनी* अपयोगकर्ता। अधिभोक्ता	कुल भूमि की 25 प्रतिशत से कम हानि	- पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि की प्रतिपूर्ति - प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान। निपटान हो जाने तक भूमि का उपयोग करने का अधिकार	- भूमि खरीद सहायता - पेड़ स्थानांतरण सहायता - कुशल बढ़ोतरी तथा आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के लिए पात्र